संख्या-7/2018/505/एक-4-2018

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, झाँसी, अम्बेडकर नगर, बस्ती, चन्दौली, सोनभद्र, बांदा, लखनऊ, महराजगंज, बरेली, कानपुर नगर, मुरादाबाद, हाथरस, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोंडा, बहराइच, उन्नाव, गोरखपुर, देवरिया, कन्नौज, पीलीभीत व फैजाबाद।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2018**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नवीन वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2053-093-03-14 में अवशेष धनराशि रूपये 2,90,740/-एवं इसी मद में शासनादेश संख्या-409/एक-4-2018 दिनांक 20.03.2018 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 258.73 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 2,61,63,740/-(रूपये दो करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ चालीस मात्र) के सापेक्ष जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने के लिये संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार 02 इनोवा क्रिस्टा 07 सीटर हेतु प्रतिवाहन रूपयें 13,29,942/- की दर से कुल धनराशि रूपयें 26,59,884.00/- संलग्न परिशिष्ट-ख के अनुसार 08 बोलेरो वाहन हेतु प्रति वाहन मूल्य रूपयें 6,15,386.00 की दर से कुल रूपये 49,23,088.00/-एवं संलग्न परिशिष्ट-ग के अनुसार 31 टाटा सूमो गोल्ड हेतु प्रति वाहन मूल्य रूपयें 5,99,359/- की दर से कुल रूपयें 1,85,80,129.00 अर्थात कुल रूपयें (26,59884+49,23,088+1,85,80,129) 2,61,63,101.00/-(रूपये दो करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार एक सौ एक मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्ता के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रतिस्थापनस्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे एवं उक्त निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जेम पोर्टल से प्राप्त मूल्य अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरो, जो भी कम हो पर किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03- कलेक्टरी स्थापना-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद से किया जाएगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाएगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0-ई-5-398/दस-2018, दिनांक 21 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-7/2018/505(1)/एक-4-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2 महालेखाकार लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3 सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।

4 वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5।

5 वित्त(वित्त-वेतन आयोग) अनुभाग-1/2।

6 राजस्व अनुभाग-6।

7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

¼ifjf'k"V&d½

'kklukn'k l[;k&505@,d&4&2018 fnukd 21-03-2018 dk lyXud

d0	tuin	fu"i;kT; okgu dk uEcj	vueU; okgu	vueU; nj
01	>kl h	;0ih0&93], th&0044]	bukok fdLVk 07 lhVj	13]29]942
02	vEcMdj uxj	;0ih0&45] th&0021]	bukok fdLVk 07 lhVj	13]29]942
		;kx	02 bukok fdLVk 07 lhVj	26]59]884

¼ifjf'k"V&[k½

'kklukn'k l[;k&505@,d&4&2018 fnukd 21-03-2018 dk lyXud

d0 l0	tuin	fu"i;kT; okgu dk uEcj	vueU; okgu	vueU; nj
01	cLrh	;0ih0&51] th&0101	ckyjk	6]15]386
02	pUnkyh	;0ih0&67] th&0151	ckyjk	6]15]386
03	lkuHkn	;0ih0&64] th&0999	ckyjk	6]15]386
04	cknk	;0ih0&90] th&0005	ckyjk	6]15]386
05	y[kuÅ	;0ih0&32] ch0 th0&0777	ckyjk	6]15]386
06	egkjkxt	;0ih0&56] th&0021	ckyjk	6]15]386
07	cjyh	;0ih0&25] ,th&0055	ckyjk	6]15]386
08	dkuij uxj	;0ih0&78] ch0 th0&0200	ckyjk	6]15]386
		;kx	08 ckyjk	49]23]088

¼';ke ekgu frokjh½

mi lfpoA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

¼ifjf'k"V&x½

'kklukn'k l[;k&505@,d&4&2018 fnukd 21-03-2018 dk lyxudA

d0 l0	tuin	fu"i;kT; okgu dk uEcj]]	vueU; okgu	vueU; nj
01	ejknkckn	;0ih0&21]b&6262	VkVk lkek xkYM	5]99]359
02	ejknkckn	;0ih0&21] ,th&0074	VkVk lkek xkYM	5]99]359
03	ejknkckn	;0ih0&21],th&0072	VkVk lkek xkYM	5]99]359
04	gkFkjl	;0ih0&86] th&4800	VkVk lkek xkYM	5]99]359
05	cjyh	;0ih0&25] ,th&0054	VkVk lkek xkYM	5]99]359
06	cjyh	;0ih0&25] ,th&0002	VkVk lkek xkYM	5]99]359
07	irkix<	;0ih0&72] th&0021	VkVk lkek xkYM	5]99]359
08	irkix<	;0ih0&72] Mh&8100	VkVk lkek xkYM	5]99]359
09	irkix<	;0ih0&72] Mh&4700	VkVk lkek xkYM	5]99]359
10	Qrgij	;0ih0&71] ,&2737	VkVk lkek xkYM	5]99]359
11	dkuij uxj	;0ih0&78] okb&7171	VkVk lkek xkYM	5]99]359
12	dkuij uxj	;0ih0&78] ,0th0&9100	VkVk lkek xkYM	5]99]359
13	dkuij ngkr	;0ih0&77] th&0002	VkVk lkek xkYM	5]99]359
14	xk.Mk	;0ih0&43] th&0022	VkVk lkek xkYM	5]99]359
15	cgjkbp	;0ih0&40] ,&5099	VkVk lkek xkYM	5]99]359
16	cgjkbp	;0ih0&40] ,&6400	VkVk lkek xkYM	5]99]359
17	cgjkbp	;0ih0&40] lh&0044	VkVk lkek xkYM	5]99]359
18	cgjkbp	;0ih0&40] &6525	VkVk lkek xkYM	5]99]359
19	mUUkko	;0ih0&35] th&0027	VkVk lkek xkYM	5]99]359
20	xkj[kij	;0ih0&53] ,th&0239	VkVk lkek xkYM	5]99]359
21	xkj[kij	;0ih0&53] ch&6425	VkVk lkek xkYM	5]99]359
22	nofj;k	;0ih0&52] ch&9125	VkVk lkek xkYM	5]99]359
23	dUukt	;0ih0&74] th&0063	VkVk lkek xkYM	5]99]359
24	ihyhHkhr	;0ih0&26]th&0123	VkVk lkek xkYM	5]99]359
25	cgjkbp	;0ih0&40] ,&5200	VkVk lkek xkYM	5]99]359
26	cgjkbp	;0th0,e0&225	VkVk lkek xkYM	5]99]359
27	ejknkckn	;0ih0&21] ,th&0209	VkVk lkek xkYM	5]99]359
28	Qtkckn	;0ih0&42] Mh&2000	VkVk lkek xkYM	5]99]359
29	Qtkckn	;0ih0&42] Mh&2001	VkVk lkek xkYM	5]99]359
30	cgjkbp	;0ih0&40] ch&9900	VkVk lkek xkYM	5]99]359
31	vEcMdj uxj	;0ih0&45]th&0009	VkVk lkek xkYM	5]99]359
		;kx	**31 VkVk lkek xkYM**	**1]85]80]129**

¼';ke ekgu frokjh½

mi lfpoA

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।